Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 18 NOKHA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt SUSHILA RAMESHWAR DUDI (Name) VILLAGE BIRAMSAR, TEH. NOKHA, DIST. BIKANER (Address) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bikaner

Date: 03.12.2023

(RAMESH DEV) Returning Officer

Assembly Constituency 18 Nokha Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Nokha

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(18) - नोखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमती सुशीला रामेश्वर इडी (नाम)

ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर (पता)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थानः - बीकानेर

दिनांक: - 03.12.2023

((करा ५५)

रिटर्निंग ऑफिसर 18-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नोखा उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड

मजिस्ट्रेट, नोखा